न्यायालय जिला कलक्टर एवं प्रथम अपीलेट अधिकारी

(सूचना अधिकार अधिनियम 2005)

पीठासीन अधिकारी मुक्तानंद अग्रवाल (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– **61/2017 अपील सू.प्र.**

उनवान

श्री महेन्द्र पिता गोपाल लाल जाट निवासी बाबरियाखेड़ा(लाम्बा) त0हुरड़ा, जिला भीलवाडा	**बनाम**	लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, गुलाबपुरा
––अपीलार्थी		––प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) अधिनियम 2005

उपस्थित :– अपीलार्थी अनुपस्थित
प्रत्यर्थी की ओर से विभागीय प्रतिनिधी

निर्णय

दिनांक : 29/09/2017

अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, गुलाबपुरा के विरूद्ध दिनांक 07.07.2017 को जरिये डाक प्राप्त होकर निवेदन किया गया कि अपीलार्थी ने विहित अधिनियम की धारा 6(1) के अन्तर्गत दिनांक 01/05/2017 को एक आवेदन मय निर्धारित शुल्क 10/–रूपये पोस्टल ऑर्डर संख्या 64सी 500268 व 500269 प्रस्तुत कर लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी,गुलाबपुरा से सूचना चाही गयी थी, किन्तु निर्धारित समय सीमा व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराई। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना हेतु प्रस्तुत आवेदन दिनांक 01/05/2017 की प्रति अपील मेमो के साथ प्रस्तुत की गई।

प्रस्तुत अपील इस कार्यालय में दिनांक 12/07/2017 को पंजीबद्ध किया जाकर अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी् को सूचना पत्र जारी किया गया। तथा प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, गुलाबपुरा से प्रत्युत्तर चाहा गया। अपीलार्थी बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं हुआ। प्रत्यर्थी ने अपने पत्रांक 1150 दिनांक 26.09.2017 से तथ्यात्मक प्रतिवेदन भिजवाते हुए अवगत कराया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी के समक्ष आवेदन दिनांक 01.05.2017 को प्रस्तुत किया जिसमें चाही गई सूचना अपीलान्ट को समय पर उपलब्ध नहीं कराई जा सकी। अपीलान्ट जिस पत्रावली की प्रति चाहता है वह वर्तमान में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में विचाराधीन प्रकरण में भिजवाई जाने से नकल प्रदान नहीं की गई। शेष

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

जो पत्र थे उसकी प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर अपीलान्ट को उपलब्ध कराये जाने हेतु भिजवाई जा रही है।

प्रत्यर्थी की ओर से प्रस्तुत तथ्यात्मक प्रतिवेदन व पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया ।

प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, गुलाबपुरा के द्वारा अपीलान्ट के आवेदन दिनांक 01.05.2017 से जो सूचना चाही गई वह अपीलान्ट को समयाावधि में उपलब्ध नहीं कराई गई है। प्रत्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के अनुरूप उचित है।

अतएव उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रस्तुत अपील में निर्णय दिनांक से 15 दिवस में अपीलान्ट को निःशुल्क सूचना उपलब्ध करा पालना रिपोर्ट से अवगत करावें। इसी आदेश के साथ अपील का निस्तारण किया जाता है। आदेश की प्रति अपीलार्थी व प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, गुलाबपुरा को सूचनार्थ भेजी जावे।

आदेश आज दिनांक 29/09/2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

जिला कलक्टर भीलवाड़ा

(मुक्तानंद अग्रवाल)
जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपीलेट अधिकारी
भीलवाड़ा